न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 15/2023

अपीलांट्स – *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स –

1. मगाराम पुत्र भोमाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र भोमाराम
3. भूराराम पुत्र भोमाराम

जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. कौशलाराम पुत्र गोरधनराम
2. राऊराम पुत्र उगराराम
3. देवाराम पुत्र उगराराम
4. नवलाराम पुत्र उगराराम
5. सोनाराम पुत्र उगराराम
6. राजो पत्नी उगराराम
7. पदमाराम पुत्र नथाराम
8. जेठाराम पुत्र तुलछाराम
9. ठाकराराम पुत्र तुलछाराम
10. भीमाराम पुत्र तुलछाराम
11. टुगी देवी पुत्री तुलछाराम पत्नी लाभूराम
12. तुलछाराम पुत्र नथाराम
13. लिखमाराम पुत्र भैराराम
14. पूराराम पुत्र भैराराम
15. लाखाराम पुत्र भैराराम
16. गुमनी पत्नी भैराराम

जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील व जिला बाड़मेर

17. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महाबार तहसील व जिला बाड़मेर
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 6156 दिनांक 28.12.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री दामोदर चौधरी, अधिवक्ता [illegible] से उपस्थित।
2. श्री उगराराम चौधरी, [illegible] से10, 12से14 व 16 [illegible] से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 11 व 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पो0 सं. 17, 18 प्रर्फोमा पक्षकार।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 6156 दिनांक 28.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रामपुरा गरल के खसरा नम्बर 49, 50, 381 / 51 रकबा क्रमशः 00–08, 01–03, 303–18 बीघा व मौजा सुथारों का तला के खसरा सं. 615 / 316 रकबा 71–18 बीघा भूमि खातेदारान कोशला वल्द गोरधन, राऊराम, देवाराम, नवलाराम, सोनाराम पि. उगराराम, राजों पत्नी उगराराम, पदमा, तुलछा, भोमा पि0 नथा, जेठाराम, ठाकराराम, भीमाराम पि. तुलछाराम टुगी देवी पुत्री तुलछाराम पत्नी लाभूराम, लिखमाराम, पूराराम, लाखाराम पि. भैराराम, गुमनी पत्नी भैराराम कौम जाट साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 01.11.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी गरल की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 6156 दिनांक 28.12.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.04.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सं. 1से16 का पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा रामपुरा गरल के खसरा नम्बर 49, 50, 381 / 51 रकबा क्रमशः 00–08, 01–03, 303–18 बीघा व मौजा सुथारों का तला के खसरा सं. 615 / 316 रकबा 71–18 बीघा आये हुए हैं। अपीलांट्स के पिता भो[illegible] दिनांक 06.01.2023 को निधन हो गया। रेस्पोडेंट्स ने अपील[illegible] पिता की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए विवादित खे[illegible] भिन्न कर डामर रोड़ पर अधिक हिस्सा लेने के [illegible] प्रभावित कर नक्शा तैयार किया तथा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत [illegible] दिया। इस विभाजन का अपीलांट व उनके पिता को ज्ञान नहीं होने दिया तथा बाले–बाले स्वीकृत करवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नामान्तरकरण भी दायर करवा दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर ने विधि व तथ्यों की भारी भूल की गई हैं, जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। मौजा रामपुरा गरल के खसरा नम्बर 381 / 51 में चलने वाली डामर सड़क पर अपीलांट्स के कब्जे–काश्त एवं चार बाड़ा, पशु बाड़े वाली भूमि को अपने नक्शे में दर्शा कर गलत रूप से पेश कर दिया। नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता होने के कारण अपीलांट्स की ढाणियां, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये है तथा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न हो गया है, इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा दिनांक 24.03.2023 को अपीलांट्स द्वारा अपने पक्ष में हकतर्कनामा करवाने के लिये वादग्रस्त भूमि की नकलें चालू जमाबन्दी, नक्शा हल्का पटवावरी से लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तब अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2021 की नकलें मांगी जो दिनांक 10.04.2023 को प्राप्त हुई। इसलिये इस ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत हैं। अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण हैं, जिसे अपील के माध्यम से चुनौती देने में मयाद बिन्दु बाधक नहीं है लेकिन एतिहात के तौर पर अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स के पिता स्व0 भोमाराम की जानकारी में एवं उनकी सहमति से पारित हुआ हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं हुई हैं, मौके पर बाहमी बंटवाड़ा एवं कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया गया हैं, इसलिये अपीलांट्स की यह अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील में विवादित भूमि मौजा रामपुरा गरल के खसरा सं. 381 / 51 का विभाजन मौका–कब्जा अनुसार नहीं होने का अभिकथन किया गया है, जिस पर तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा–काश्त की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने रिपोर्ट पत्र क्रमांक ... अ. / 2024 / 2040 दिनांक 05.08.2024 में अंकित किया है कि मौके पर ... जांच एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार परिशिष्ठ व अनुसार ... शुद्धि हेतु नक्शा प्रस्तावित हैं। अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि उक्त खसरा सं. 381 / 51 का विभाजन करते समय अपीलांट्स के हिस्से में रखी गई भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तरमीम में सड़क पर अनुपातिक रूप से कम हिस्सा दिया गया है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौके की तथ्यात्मक स्थिति एवं रकबा बरारी में परिशिष्ठ–ब अनुसार होना मौका फर्द दिनांक 04.08.2024 में उल्लेख किया गया है तथा इस मौका फर्द पर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा सहमति प्रकट की गई हैं। अपीलांट्स के मुख्य कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की रहवासी ढाणी, बाड़े इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है जिसकी ताईद तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट से हो रही हैं। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 6156 दिनांक 28.12.2021 को आंशिक अपास्त किया जाकर मौजा रामपुरा गरल के खसरा संख्या 381/51 (मूल) के विभाजन की तरमीम पक्षकारान की सहमति से परिशिष्ठ–ब अनुसार संशोधित की जाती है। उक्त परिशिष्ठ–ब को इस निर्णय का अंग शुमार किया जाता हैं तदनुसार तहसीलदार बाड़मेर विभाजन तरमीम का नक्शे में अंकन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested